

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु पंजीयन आवेदन

1. मुखिया का नाम :- .....
2. पिता/पति का नाम :- .....
3. आयु :- .....
4. मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड क्रमांक/दिनांक :- .....
5. बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक :- .....
6. राशन कार्ड नं./दिनांक :- .....
7. राशन कार्ड का रंग :- .....
8. धर्म :- .....
9. वर्ग :- .....
- (सामान्य/अ.पि.व./अनु.जाति./अनु.जनजाति.)
10. व्यवसाय :- .....
11. पता :- मकान नं..... वार्ड नं/मोहल्ला.....  
ग्राम/शहर..... ग्राम पंचायत .....
- विकासखंड..... जिला.....
12. आश्रित:- (अ) पिता:- .....
- (ब) माता:- .....
- (स) पत्नी :- .....
- (द) आश्रित बच्चे :- .....
- (ई) अन्य:- .....

### घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी एवं विवरण पूर्णतः सत्य है।  
दिनांक .....

सरपंच/पार्षद के हस्ताक्षर  
पद मुद्रा सहित

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

**नोट:-** यह पंजीयन केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु है। इसका उपयोग किसी अन्य योजना एवं उद्देश्य के लिए नहीं किया जावेगा।

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना  
के पंजीयन हेतु आवेदन पावती**

नाम..... पिता / पति का नाम.....ग्राम / शहर .....

मोहल्ला/वार्ड नं.....पंचायत.....विकासखंड.....जिला.....

प्राप्तकर्ता का नाम .....

टीप •

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के तीन से चार माह पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर स्मार्ट कार्ड बनने के आगामी चरण में सम्बन्धित हितग्राही का स्मार्ट कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।